न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 55/2022

सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर ....प्रार्थी

बनाम

जगजी पुत्र लादू जरिये वारिसान :-
1. अनोपी देवी पुत्री जगजी
2. चंदा देवी पुत्री जगजी

निवासीगण ग्राम किशनपुरा तहसील पुष्कर

.........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :-
1. श्री ओम प्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक
2. श्री निखिल शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी 2

-: आदेश :-

दिनांक- **27.10.2025**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा आदेश क्रमांक 304 दिनांक 30.06.1995 को ग्राम किशनपुरा तहसील पुष्कर के खसरा नम्बर 309 मिन रकबा 18 बिस्वा (वर्तमान खसरा नम्बर 1456 रकबा 0.12 हैक्टेयर किस्म चाही 1) भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। आवंटन की शर्तो के अनुरूप आवंटित भूमि में अप्रार्थी को कब्जा सम्भलाये जाने के वर्ष कम से कम 50 प्रतिशत भाग पर तथा उसके पश्चात सम्पूर्ण आवंटित भूमि पर काश्त की जानी थी किन्तु पटवारी हल्का कियानपुरा तथा भू-अभिलेख निरीक्षक की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 अनुसार मौके पर उक्त खसरा नम्बर पर आवंटी/अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है तथा आवंटी/अप्रार्थी ने आवंटन की शर्तो के अनुरूप काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की पालना नहीं की ऐसी स्थिति में आवंटी/अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अतः ग्राम किशनपुरा तहसील पुष्कर के खसरा नम्बर 309 मिन रकबा 18 बिस्वा (वर्तमान खसरा नम्बर 1456 रकबा 0.12 हैक्टेयर किस्म चाही 1) में अप्रार्थी के पूर्वज को किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि सिवायचक दर्ज करने का आदेश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 23.08.2023 में अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन की शर्तो के अनुरूप काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की पालना नहीं की ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के पूर्वज को किया गया

जिला कलक्टर
अजमेर

आवंटन निरस्त योग्य है । अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से दिनांक 25.06.2024 को श्री निखिल शर्मा अभिभाषक उपस्थित आये व अप्रार्थी संख्या 1 अनोपी देवी की अण्डर टेकिग पेश कर वकालातनाम/जवाब हेतु समय चाहा गया । अप्रार्थीगण को दिनांक 16.7.2024, 17.9.24, 22.10.2024, 26.11.2024,28.1.2025, 30.5.2025 को अवसर प्रदान जवाब/वकालातनाम प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर प्रदान किये गये । तत्पश्चात दिनांक 19.09.2025 को अंतिम अवसर प्रदान किये जाने पर भी जवाब/वकालातनामा प्रस्तुत नहीं करने से पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया की उक्त अप्रार्थीगण का जवाब बन्द कर सीधे ही सुनवाई चाही गई। जिस पर पेरोकार सरकार को सुना गया ।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओ की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि उपखण्ड अधिकारी अजमेर के आदेश क्रमांक 304 दिनांक 30.06.1995 को ग्राम किशनपुरा तहसील पुष्कर के खसरा नम्बर 309 मिन रकबा 18 बिस्वा (वर्तमान खसरा नम्बर 1456 रकबा 0.12 हैक्टेयर किस्म चाही 1) भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। आवंटन की शर्तो के अनुरूप आवंटित भूमि में अप्रार्थी को कब्जा सम्भलाये जाने के वर्ष कम से कम 50 प्रतिशत भाग पर तथा उसके पश्चात सम्पूर्ण आवंटित भूमि पर काश्त की जानी थी किन्तु पटवारी हल्का तथा भू-अभिलेख निरीक्षक की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 अनुसार मौके पर उक्त खसरा नम्बर पर आवंटी/अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है तथा आवंटी/अप्रार्थी ने आवंटन की शर्तो के अनुरूप काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की पालना नहीं की ऐसी स्थिति में आवंटी/अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अतः ग्राम किशनपुरा तहसील पुष्कर के खसरा नम्बर 309 मिन रकबा 18 बिस्वा (वर्तमान खसरा नम्बर 1456 रकबा 0.12 हैक्टेयर किस्म चाही 1) में अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि सिवायचक दर्ज करने का आदेश प्रदान करे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। प्रश्नगत आराजी भूमि आवंटन वर्ष 1995 से आज तक प्रश्नगत भूमि पर आवंटन पश्चात् आवंटी द्वारा किसी भी वर्ष में फसल काश्त नहीं की गई है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा भू आवंटन/नियमन के नियमों में पूर्व निर्धारित नियम यथा प्रथम वर्ष में 50% तथा अगले वर्ष में सम्पूर्ण भू-भाग पर फसल काश्त करने की शर्त को विलोपित कर दिया है किन्तु आवंटी द्वारा उनके पक्ष में हुये आवंटन/नियमन पश्चात् लगातार लगभग 8-10 वर्षों में एक बार भी काश्त नहीं कर नियम 14(3) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। ग्राम किशनपुरा तहसील पुष्कर की जमाबन्दी सं. 2072-2073 के अनुसार नियमित भूमि आंवटी के नाम दर्ज है। राज. भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के अनुसार ''अतिचारियों को भूमि का आवंटन'' के उप नियम 1 के अनुसार भू. संशोधन के अवशेष प्रकरणों की भूमि को सम्बन्धित के पक्ष में आवंटन/नियमन किये जाने का संशोधन किया गया है। इन्हीं संशोधनों के अनुसरण में आवंटन/नियमन, सम्बन्धित के हक में किया गया है जिसके लिये उपरोक्त नियम के नियम 20(2) के अनुसार ''आवंटन के उपरान्त अतिचारी इन नियमों में उपबन्धित आवंटन शर्तो से आबद्ध होगा और उसे खातेदारी अधिकार इस प्रकार प्रोदभूत होंगे मानों उसका मामला इन नियमों के अधीन आवंटन का हो'' के तहत् आवंटी द्वारा उनके हक में नियमित भूमि पर बिल्कुल काश्त नहीं

जिला कलक्टर
अजमेर

की जाने से प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में स्वीकार कर ग्राम किशनपुरा तहसील पुष्कर के खसरा नम्बर 309 मिन रकबा 18 बिस्वा (वर्तमान खसरा नम्बर 1456 रकबा 0.12 हैक्टेयर किस्म चाही 1) भूमि का अप्रार्थीगण के पिता के हक में किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किया जाता है तथा भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार तत्काल नामान्तरण दर्ज कर राजहित में कब्जा प्राप्त करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर